Building Permit

प्रे षक,

प्रदीप कुमार सिन्हा
प्रमाणित वास्तु विद्
नगर परिषद् मुज्जफरपुर

Off -1 पहली मंजिल
भूवनेश्वर प्लाजा
न्यू मार्केट पटना
मो – 91-94718-92424

सेवा में ,

श्रीमान / shailendra chowdhry, S/o Sri Kiran shankar prosad chowdhry
sarayagarh, Gopalji lane,
Thana Nagar, Dist - Muzaffarpur.

विषय : **प्लान केश सं0** .....की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय

आपके द्वारा प्रस्तावित सर्वे / मयुनिसिपल / समिति भूखण्ड सं ------- (P)मौजा / shekhpur थाना Ahiyapur थाना / सं. 668 खाता 17 की स्वीकृति बिहार म्युनिसिपल अधिनियम 2007 धारा 314 के अर्न्तगत निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है। 468, 469.

1. भवन निर्माण कं पूर्व भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को देगें / देगीं।
2. नक्शे में वर्णित सड़ क चौड़ीकरण की भूपट्टी को छोड़ कर ही आप सामने की चहारदीवारी को निर्माण करेगें / करेगीं ।
3. भवण निर्माण के बाद भवण में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज के एपेडिक्स (जी) में वर्णित प्रपत्र के साथ कम्पलिसन सर्टिफिकेट देना होगा।
4. बाईलॉज के अपेडिक्स एच के अर्न्तगत आकुपेन्सी सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश आपके द्वारा किया जायगा।
5. निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा में किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायगा।
6. अगर प्रस्तावित स्थाल पर पूर्व से निर्मित संरचना है जिसे तोड़ कर 6 माह के अन्दर हटने का शपथ – पत्र दिया गया है उसे सीमावधि का अनुपालन आपके द्वारा किया जायेगा।
7. बहुमंजिल भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशाम फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्रमाणित वास्तुविद के अनुमति प्राप्त कर भवन में प्रवेश किया जायगा।
8. वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायगा।
9. महायोजना मे प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही कार्य एवं भवन की उपयोगी आपके द्वारा किया जायगा।
10. बाईलॉज में उप विधि 20.01.06 के अनुपालक में आप अपने प्रस्तावित भूखण में 2-2-4 का पेड़ लगाना है।
11. भवन निर्माण के द्वौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान कराना होगा।
12. परिसर में Rain Water Harversting System का प्रावधान कराना होगा।
13. पब्लिक बिल्डींग में अपंग व्यक्तियों (Person`s With Disablles) के अवरोध रहित आवागमन का प्रवधान बाईलॉज के एपेंडिक्स –पी के अनुरुप सुनिश्चित करना होगा।
14. स्थल पर बनाये गये साईन बोर्ड पर प्रमाणित वास्तुविद से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने मंजिल के लिए है ए उल्लेख किया गया।
15. The validity of sanctioned map is for 3 (three) years from the date of sanctioning.

शपथ कर्ता

For SHAILANDRA CHOWDHARY
Pradeep Kumar Sinha
07/12/12
9431240725

विश्वभाजन P. Sinha 7/12/12
पदीप कुमार सिन्हा
इम्पैनल न०:-13/2012
नगर निगम मुज्जफरपुर

Certified Empaneled Architect
Pradeep Kumar Sinha
Government of Bihar